—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 98 / 2024

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र सुरेश
2. सत्यनारायण पुत्र उगमा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बलराम पुत्र मेघराज
2. रंगलाल पुत्र रामदेव,
3. जुगराज पुत्र उगमा,
4. राजेन्द्र उर्फ महेन्द्र पुत्र रामदेव, जाति जाट नि. चाट, नसीराबाद,
5. उप पंजीयक, नसीराबाद,
6. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी,
5 व 6 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 21.10.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट के खाता संख्या 180 / 177 किता 8 रकबा 1.83 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी की हैं। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बिना किसी कारण के आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :—</u>

ग्राम चाट के खाता संख्या 180 / 177 किता 8 रकबा 1.83 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी की हैं। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अविभाजित आराजी पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा होता है। सह खातेदार को विषम परिस्थितियों [illegible] में पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसे तथ्य पेश नही [illegible] गये जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। शेष तथ्य मूल वाद में [illegible] ही तय किये जायेगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण [illegible] सिद्ध नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण वाद के निस्तारण तक रिकार्डेड खातेदार को बिना ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है।मौके पर वाद बहुलता की संभावना भी सिद्व नही होती है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम चाट के खाता संख्या 180/177 किता 8 रकबा 1.83 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested